

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री ब्रजेश सिंह के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री असित श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण मे जनपद संतकबीरनगर मे दिनांक 27.09.2019 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण हेतु चलाये गये चेकिंग अभियान मे निम्नलिखित कार्यवाहिया की गयी ।

### आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद 04 अभियुक्तगण गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 10-10 (कुल 20ली0) लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त 1- सूरज गुप्ता पुत्र रामदास निवासी बस्ती बस्का 2- नन्दलाल पुत्र बुद्धु निवासी डिहवा दिगेश्वरनाथ थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर क्रमशः मु0अ0सं0 326 / 19 व 327 / 19 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त बेचानू पुत्र लल्लन निवासी मेशवापुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 474/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

थाना महली पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त जोगिन्दर पुत्र नन्दलाल निवासी फरेन्दिया थाना महली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 360 / 19 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

### पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1494 ने दो पक्षों में हो रहे विवाद को कराया शान्त—पीआरवी 1494 को थाना बखिरा क्षेत्र से इवेन्ट संख्या 4748 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने के संबंध मे सूचना दिया । इस सूचना पर पीआरवी कर्मी तत्काल 06 मिनट मे मौके पर विवाद को शान्त कराकर दोनों पक्षों के व्यक्तियों को अग्रिम विधिक कार्यवाही कराने हेतु थाना कोतवाली खलीलाबाद भेजा गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर विवाद को शान्त कराया गया । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।

**पीआरवी स्टाफ-** मुख्य आरक्षी फजलेहक उस्मानी, आरक्षी अजय राना, आ0चा0 अखिलेश राय ।

## शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

### मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 22 वाहनो से 10100 रु0 सम्मन शुल्क वसूल

आज दिनांक 27-09-2019 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 22 वाहनो से 10100 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

### एन्टी रोमियो अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही

आज दिनांक 27-09-2019 को जनपदीय पुलिस व एन्टी रोमियो टीम द्वारा मनचले / रोमियो चेकिंग के दौरान 15 स्थानों पर चेक करते हुए कुल 32 व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमे से मनचले व शोहदे किस्म के लड़को से पूछताछ करने के पश्चात कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा हिदायत दी गयी कि बिना किसी कारण के बाजारों व चौराहों के आसपास दोबारा घूमते हुए पाये जाने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।